

कार्यालय, अंचल अधिकारी, छत्तरपुर, (पलामू)।

ख वाद सं० ५२१/२०१६-१७
द का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत
जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
१.५.१५	अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक २०७४/रा०, दिनांक १३.०५.२०१६ सह-पठित- श्री अनुप मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन-सह-विषेश सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार का पत्रांक सं०-३ खा०म०निति ११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक ०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सं०-९१४/रा० दिनांक ०९.१२.१९९८ एवं विभागीय पत्रांक १७०४/रा०, दिनांक १५.०७.२०२० में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि (किस्म.....) की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गई। जाँच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :- मौजा <u>पीपरा वन</u> थाना नं० <u>२३४</u> खाता सं० <u>१५</u> प्लॉट सं० रकबा..... <u>१.२९</u> एकड़ की भूमि जो गत सर्वे में गैरमजरूआ मालिक किस्म <u>अनाबाद</u> बिहार / झारखण्ड सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द सं०..... के पृष्ठ सं० <u>११/५</u> पर जमाबंदी रैयत <u>सुनर सुंदर ५१०</u> <u>गिरि चारी सुंदर</u> के नाम से कायम है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त उपर्युक्त भूमि विवरणी के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रविवेदित किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रविवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के आधार पर/ सादाहुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है। अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५०, की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख, दिनांक <u>१५.५.१५</u> को उपस्थापित करें।	

१.५.१५
अंचल अधिकारी,
छत्तरपुर।

Case - 421 / 2016-17

संदिग्ध जमाबंदी से संबंधित अंचल स्तर पर मरा जाने वाला चेक-लिस्ट

1. जिला एवं अंचल का नाम - फर्रुख, अंचल - कुनरपुर

2. अवैध जमाबंदीदार का नाम एवं भूमि का विवरण :-

जमाबंदीदार का नाम	मौजा	थाना नं.	खाता नं.	खेसरा नं.	रकबा	खतियानी प्रविष्टि	किस्म जमी
मुजर मुईना ड/0	विपराकला	237	15	—	1.29	जी.स.प.स.ओ.	काट
शिरधारी मुईना						मालिक	नहीं है

3. भूमि का वर्तमान स्वरूप :- भूमि का वर्तमान स्वरूप परती है,

4. अवैध जमाबंदी पंजी-II में कब से संधारित है? :- पंजी-II में कोई विवरण दर्ज नहीं है,

5. उक्त जमाबंदी पंजी-II में दर्ज करने वाले कर्मचारी/पदाधिकारी का नाम (पदाधिकारियों के उत्तराधिकार पट्टा में अंकित नाम के अनुसार तथा कर्मचारी/कर्मि का नाम अंचल कार्यालय में संधारित सेवा इतिहास पंजी से पता कर उल्लेखित करें) :-

6. नामान्तरण/दाखिल - खारिज के उपरान्त संधारित जमाबंदी के मामलों में मूल जमाबंदी रैयत की विवरणी :-

7. अवैध जमाबंदी कायम किये जाने का आधार (क) अनिबंधित सादा हुकुमनामा :-

(ख) लगान निर्धारण तथा उसका वर्ष (वाद संख्या एवं पारित अदेशानुसार) :-

(ग) अवैध भू-बंदोबस्ती (वाद संख्या के साथ) भूदान सहित :-

8. सादा हुकुमनाम की स्थिति में तथा-कथित सादा पट्टा या हुकुमनामा में अंकित मूल्य (100/-रुपये से कम या इससे अधिक) :-

मांग पंजी-II के परिवर्तित प्राधिकरण कायम में कोई विवरण दर्ज नहीं है,

अंचल अधिकारी
08/04/17

अवैध जमाबंदी की जाँच किया राजस्व अभिलेख से की गई है :-

(क) भूतपूर्व जमींदार द्वारा चाखिल रिटर्न से

(ख) अंचल / अनुमंडल में स्थापित बंदोबस्ती पंजी से

(ग) चाखिल-खारिज / भू-हस्तांतरण / नामांतरण पंजी से :-

पालू मांग
पंजी-ग्र
से

10. (क) अवैध जमाबंदी तथा दिनांक-01.01.1940 के पूर्व से कायम है :- नही

(ख) क्या दिनांक-01.01.1940 के पूर्व भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमीनदारी रसीद साल-दर-साल निर्गत है? :- नही

11. क्या दिनांक-01.01.1940 के बाद से 1955-56 तक जमीनदारी रसीद तथा उसके बाद सरकारी राजस्व रसीदें लगातार निर्गत हैं? :- नही

12. वर्ष 1954-55 में हुए फिल्ड-बुझारत पंजी में दखल-कब्जा अवैध जमाबंदीदार अथवा उनके पूर्वजों का नाम अंकित था? :- नही

13. राजस्व उप-निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट अनुशंसा सहित :- प्रतिवेदन भूमि का मौजा-विपरीकला जवाग 15 ब्लाक-हर्न नही है, रकबा-1.29 एकड़ भूमि का मांग पंजी-ग्र के पृ. 4, 11/1 पर मांगधारी मुकर भुइया पिला गिरधारी भुइया के नाम से दर्ज है। मांग पंजी-ग्र के ऊपर दृष्ट पर परिवर्तन के प्राधिकार काल में मांग लागू होने का कोई आधा दर्ज नही है, और न ही भुइया के द्वारा इसके संबंधित कोई राजस्व कागजात प्रस्तुत किया गया। जवाग 15 गैरमजबूत जवाग के भूमि है, अतः ऐसे में उक्त मांग अवैध प्रतीत होता है। अतः कारवाई हेतु जाँच प्रतिवेदन सादर समर्पित।

अ. र. 3

14. अंचल निरीक्षक का स्थलीय जाँचोपरांत मंतव्य सहित स्पष्ट प्रतिवेदन :-

राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा प्रतिवेदन प्रतिवेदन का जाँच किया, यह पाया। अतः उपरोक्त पंजी के मांग को रद्द किया जा सकता है।

4

चक्र अधिकारी, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, उत्तरपुर।

अनुमंडल पदा., उत्तरपुर।

अपर समाहर्ता, पलामू।

उपायुक्त, पलामू।

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन।

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- मुजर भुइयाँ ९/० मिरधारी भुइयाँ
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरणी जमाबंदी पंजी II के जिल्द संख्या I पृष्ठ सं: 11 पर कायम है।

मौजा	थाना नं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकबा
<u>पिपरा कला</u>	<u>237</u>	<u>15</u>	<u>—</u>	<u>1.29 045</u>

3. जमाबंदी किस वर्ष कायम है :- पंजी-II के उक्त पृ. ४ पर नोट
विवरण दर्ज नहीं है।
4. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खानेदार का नाम :- गैरमजकजा मालिक
5. किस सक्षम प्राधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गयी है :- NA
6. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामांतरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-

NA

7. मूल जमाबंदी कायम किये जाने का आधार पंजी-II के उक्त पृ. ४ पर पंखित
के अधिकार कालम में नोट
(अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भू-बंदाबस्ती) के विवरण दर्ज नहीं है।
8. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गयी
(भूतपूर्व जमीनदार दाखिल रिटर्न / बंदाबस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू-हस्तांतरण पंजी)
- पंजी मांग पंजी-II से मिलान किया।

9. संदेहास्पद जमाबंदी में लगान रसीद संख्या एवं वर्ष :-

क्र. सं.	लगान रसीद सं.	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष

R.S.T

कम्युनिय, अंचल अधिकारी, उत्तरपुर (पलामू)।

वाद अभिलेख सं०..... ५२१ / २०/६/१७ (अन्तर्गत धारा ४(h). BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम गुनार उड्डास रियासत गिरधारी उड्डास

राजस्व पंजीकरण नाम दाखल

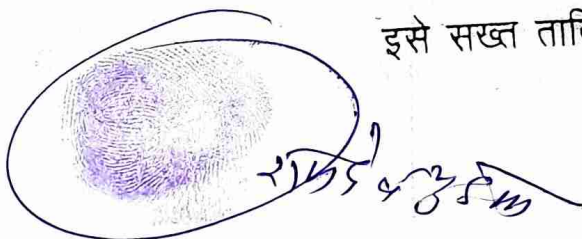
पंजी-१५३२

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा पीपरा ग्राम थाना नं०.....
खाता सं० १५ खेसरा नं० — रकबा..... से संबंधित आपके नाम से
ह० नं० ५ के पंजी-II भाग के पृष्ठ पर दर्ज जमाबंदी प्रथम
दृष्ट्या राजस्व उपनिरीक्षक नें अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध
प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक ५/३/२४ को समय ११:०० बजे
पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न-१, भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व
जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल
प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ
अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर
पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशांसा
कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जाने।




अंचल अधिकारी,
उत्तरपुर।